संख्या-149/2016/आर-3094/26-3-2016-802/2016

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 29 जुलाई 2016

विषयः- विभाग द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के संचालनार्थ वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-84/ज.जा.वि./ए.टी.एस./2016-17, दिनांक-11.07.2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/प्रस्ताव पर विचारोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत संचालित अनुसूचित जनजातियों के लिये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय हेतु **लेखाशीर्षक-"2225-02-796-09-अनुसूचित जनजातियों के लिये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के संचालन"** हेतु मानक मद संख्या-02-मजदूरी,12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण तथा 16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष शतप्रतिशत धनराशि रूपया-106.20 लाख (रूपया एक करोड़ छः लाख बीस हजार मात्र) की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(रूपया लाख में)

लेखाशीर्षक	आय-व्ययक वर्ष 2016-17 में प्राविधानित धनराशि	स्वीकृत धनराशि
2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-आयोजनागत- 02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण- 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना- 09-अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के संचालन		
02-मजदूरी	3.50	3.50
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2.70	2.70
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	100.00	100.00
	106.20	106.20

(1)-स्वीकृत की जा रही धनराशि उन्हीं मदों में व्यय की जायेगी जिनके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है। उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष ब्यय किये जाने से पूर्व जिन मामलों में शासन की पूर्व अनुमति/स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें प्राप्त कर ब्यय किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग होने के उपरान्त जो धनराशि बचेगी उसे नियमानुसार वित्तीय वर्ष के अन्त में राजकोष में जमाकर दी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का पुर्नविनियोजन एक योजना/मद से दूसरी योजना/मद में नहीं किया जायेगा।

(3)-स्वीकृत की गयी धनराशि के सापेक्ष ब्यय की गयी धनराशि की वित्तीय एवं प्राप्त भौतिक लक्ष्यों की सूचना के साथ उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त योजनाओं/मदों पर होने वाला ब्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-ब्ययक में अनुदान संख्या-81 के अन्र्तगत लेखाशीर्षक"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-आयोजनागत-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-09-अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के संचालन-02-मजदूरी-12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान" के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22 मार्च, 2016 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

पृ0संख्या-149/2016/आर-3094(1)/26-3-2016-तदिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1
4- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
5- गार्डफाइल।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।